केन्द्रीय विद्यालय ज्योतिपुरम

प्रवेश सूचना : सत्र 2026-27

सभी अभिभावकों एवं संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि शैक्षणिक सत्र 2026-27 हेतु बालवाटिका-3 में प्रवेश निम्नलिखित विवरणानुसार प्रारम्भ किए जा रहे हैं:

i. बालवाटिका-3 के लिए प्रवेश दिनांक 20 मार्च 2026 से प्रारम्भ होंगे तथा पंजीकरण की अंतिम तिथि 02 अप्रैल 2026 होगी।

ii. पंजीकरण प्रक्रिया केवल ऑनलाइन माध्यम से ही स्वीकार की जाएगी।

iii. किसी भी परिस्थिति में ऑफलाइन पंजीकरण स्वीकार नहीं किया जाएगा।

iv.ऑनलाइन पंजीकरण हेतु लिंक दिनांक 20 मार्च 2026 को प्रातः 10:00 बजे से सक्रिय होगा।

v. बालवाटिका-3 में कुल उपलब्ध सीटों की संख्या 40 है।

vi. स्थानांतरण आधारित प्रवेश के लिए वर्ष 2019 से 2026 तक (पिछले 7 वर्षों) के स्थानांतरण विवरण पर विचार किया जाएगा।

स्थानांतरण की परिभाषा (शब्दशः एवं भावार्थ सहित लागू): स्थानांतरण: कर्मचारी को स्थानांतरित तब माना जाएगा जब सक्षम अधिकारी द्वारा उसे किसी एक स्थान/शहरी संकुल से दूसरे स्थान/शहरी संकुल में स्थानांतरित कर दिया गया हो और वह स्थान कम से कम 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हो तथा एक स्थान पर ठहराव की अवधि कम से कम 6 महीने/180 दिन (कार्य-मुक्ति के दिन सहित) की हो।

vii. कक्षा 1 एवं कक्षा 2 तथा उससे ऊपर की कक्षाओं में प्रवेश हेतु पंजीकरण दिनांक 02 अप्रैल 2026 से 08 अप्रैल 2026 तक विद्यालय में ऑफलाइन माध्यम से किया जाएगा।

viii.कक्षा 1 एवं कक्षा 2 तथा उससे ऊपर की कक्षाओं के लिए उपलब्ध सीटों की संख्या दिनांक 27 मार्च 2026 तक विद्यालय की वेबसाइट पर प्रदर्शित कर दी जाएगी।

प्रवेश हेतु अनिवार्य दस्तावेजों की सूची:

i. आयु प्रमाण पत्र (जन्म प्रमाण पत्र) जो कि जन्म पंजीकरण हेतु सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया हो। इसमें नगरपालिका / नगर निगम / अधिसूचित क्षेत्र परिषद / ग्राम पंचायत के अभिलेखों से जारी प्रमाण पत्र सम्मिलित होंगे।

ii. अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / ईडब्ल्यूएस / ओबीसी (नॉन-क्रीमी लेयर) / बीपीएल से संबंधित प्रमाण पत्र (जहाँ लागू हो), जो कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया हो।

प्रारम्भ में अभिभावकों में से किसी एक का प्रमाण पत्र स्वीकार किया जा सकता है।

परंतु बच्चे का प्रमाण पत्र प्रवेश की तिथि से 01 माह के भीतर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

iii. विशेष आवश्यकता वाले बच्चों (CwSN) के लिए सिविल सर्जन / पुनर्वास केन्द्र / भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र (जहाँ लागू हो)।

iv. पिछले 7 वर्षों में हुए स्थानांतरणों की संख्या दर्शाने वाला सेवा प्रमाण पत्र, जो कार्यालय प्रमुख द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित एवं मोहर सहित हो (स्थानांतरण आधारित प्रवेश के लिए)।

v. पड़ोस की परिभाषा (केवल RTE के अंतर्गत प्रवेश हेतु लागू):केन्द्रीय विद्यालय ज्योतिपुरम के लिए पड़ोस की सीमा 8 किलोमीटर के दायरे (रेडियस) तक निर्धारित की गई है, अतः प्रवेश के लिए अभ्यर्थी का निवास विद्यालय से 8 किमी के भीतर होना आवश्यक है। आवेदन के समय अभिभावक द्वारा भरा गया पता एवं प्रस्तुत निवास प्रमाण पत्र ही अंतिम माना जाएगा। इस उद्देश्य के लिए पते में किसी भी प्रकार का परिवर्तन स्वीकार नहीं किया जाएगा, सिवाय उन मामलों के जहाँ सरकारी कर्मचारी अनंतिम प्रवेश सूची जारी होने के बाद सरकारी आवास में स्थानांतरित होते हैं।

vi. अभिभावकों द्वारा प्रस्तुत किसी भी दस्तावेज में यदि किसी भी चरण पर कोई विसंगति (Discrepancy) पाई जाती है, तो संबंधित प्रवेश निरस्त कर दिया जाएगा

(प्राचार्य)
केन्द्रीय विद्यालय ज्योतिपुरम

प्राचार्य / Principal
केन्द्रीय विद्यालय ज्योतिपुरम
Kendriya Vidyalaya Jyotipuram
रियासी, जम्मू-182312/Reasi, Jammu-182312

KENDRIYA VIDYALAYA JYOTIPURAM

Admission Notice: Session 2026-27

This is to inform all concerned that admissions for Balvatika-3 for the academic session 2026-27 are hereby announced as per the following details:

Admissions are open for Balvatika-3 w.e.f. 20 March 2026.

1. Registration process will be conducted in online mode only.
2. The last date for registration in Balvatika-3 is 2 April, 2026
3. No offline registration will be accepted under any circumstances.
3. The online registration link will be activated on 20 March 2026 from 10:00 AM onwards.
4. The total number of available seats in Balvatika-3 is 40.
5. In case of transfer-based admission, the transfer history of the last seven years (2019–2026) will be considered.
6. <u>Definition of Transfer (to be followed in letter and spirit):</u>

i.An employee shall be treated as transferred only if:

She/he has been transferred by the competent authority from one place/urban agglomeration to another,

ii.The distance between the two places is at least 20 km, and

The minimum period of stay at a place should be six months/180 days (including the day of relieving).

7. The Registration for admissions in classes 1 and 2 onwards will be done offline in school from 2 April, 2026 to 8 April, 2026.
8. The available no. Of seats for class 1 and 2 onwards will be declared on school website by 27 March, 2026.

<u>Checklist of Mandatory Documents for Admission:</u>

i. Proof of age in the form of a Birth Certificate issued by the competent authority (Municipality / Municipal Corporation / Notified Area Council / Village Panchayat records).

ii. Caste/Category Certificate (SC/ST/EWS/OBC-NCL/BPL), wherever applicable, issued by the competent authority.

Initially, a certificate of either parent may be accepted.

However, the child's certificate must be submitted within 01 months from the date of admission.

iii. Certificate from Civil Surgeon/Rehabilitation Centre/Competent Authority for children belonging to CwSN (Children with Special Needs), wherever applicable.

iv. Service Certificate indicating the number of transfers during the last 7 years, duly signed and stamped by the Head of Office with complete details (in case of transfer-based admission).

v. <u>Definition of Neighbourhood (Applicable for admission under RTE only):</u>

For Kendriya Vidyalaya Jyotipuram, the neighbourhood limit is defined as a radius of 8 km; therefore, the residence of the applicant must be within 8 km of the school for eligibility under RTE.

vi.The address entered and the address proof submitted by the parent during the application process shall be treated as final for determining the neighbourhood. No request for change of address will be entertained for this purpose, except in cases of government employees shifting to government accommodation, after the lists of provisional admissions out.

vii. In case of any discrepancy found in the documents submitted by the parents at any stage, the admission shall be cancelled.

Note: Parents are advised to carefully read all instructions and ensure submission of correct and complete information while filling the online registration form.

(Principal)
Kendriya Vidyalaya Jyotipuram

प्राचार्य / Principal
केन्द्रीय विद्यालय ज्योतिपुरम
Kendriya Vidyalaya Jyotipuram
रियासी, जम्मू–182312/Reasi, Jammu-182312